इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 फरवरी 2023-फाल्गुन 3, शक 1944

परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2023

क्र. 972-1065774-2023-आठ.—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना क्र. सा. का. नि.-652 (अ), दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के माध्यम से अधिसूचित केन्द्रीय मोटरयान (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 मध्यप्रदेश राज्य में यथावत् प्रवृत्त किया जा रहा है तथा उक्त नियमों के नियम 3 द्वारा अन्तःस्थापित अध्याय-11 स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन, नियंत्रण के नियम 174 के उप-नियम (1) के खण्ड (चार) तथा नियम 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को अपील प्राधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है.

No. 972-1065774-2023-VIII.—The Central Motor Vehicles (Twenty first Amendment) Rules, 2021 notified by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India *vide* Notification No. GSR-652(E), dated 23rd September, 2021 is being enforced in the State of Madhya Pradesh as it is and in exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-rule (1) of Rule 174 and Rule 186 of Chapter-11 Recognition, Regulation, Control of automated testing stations, inserted by Rule 3 of the said rules, the State Government, hereby, nominates the Transport Commissioner, Madhya Pradesh as the Registering Authority and Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department as Appellate Authority.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **श्वेता पवार**, उपसचिव.